

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी फर्रुखाबाद।

संख्या 6008 /आ0ले0-जि0अ0-2014
नगर मजिस्ट्रेट /समस्त उप जिलाधिकारी
जनपद फर्रुखाबाद।

दिनांक 18, जून

2014

तहसील दिवस में अधिकांश शिकायतें आती हैं कि घर के सामने या रास्ते पर कूड़ा डालकर नाली बन्द करने से पानी का बहाव अवरूद्ध कर दिया गया है। कृपया ऐसे मामलों में सर्वप्रथम सम्बन्धित गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी या नगर में अधिशाषी अधिकारी से आख्या ले ली जाय और उनको किये गये व्यवधान को हटाने के लिए निर्देशित किया जाये। यदि उनके द्वारा व्यवधान नहीं हटवाया जाता है तो विपक्षी के विरुद्ध धारा 133 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तीन दिन का समय दिया जाये और तीन दिन में अनुपालन न करने पर पुलिस के द्वारा व्यवधान हटवाया जाय।

अतः अपेक्षित है कि उपरोक्तानुसार अभियान चलाया जाये जिससे सभी को राहत मिल सके और गांव व नगर का वातावरण स्वच्छ रह सके।

↓
(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि:-

1- मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद को इस आशय से कि उपरोक्तानुसार समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराते हुए अनुपालन कराये।

↓
(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रुखाबाद।